सीईएन सं. 01/2025 (एएलपी)

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र.1 ऑनलाईन आवेदन की प्रारंभिक तिथि क्या है?

उ. ऑनलाईन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 12.04.2025 है।

प्र.2 ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

उ. ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 11.05.2025 (23.59 बजे) है।

प्र.3 प्रस्तुत आवेदन के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि क्या है?

उ. प्रस्तुत आवेदन के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 13.05.2025 (23.59 बजे) है।

प्र.4 आवेदन में संशोधन करने के लिए तिथियां क्या है?

उ. प्रस्तुत किए गए आवेदनों के लिए भुगतान शुल्क भरने की तिथि के समापन के बाद ही संशोधन विंडो खोली जाएगी। संशोधन विंडो 14.05.2025 से 23.05.2025 (23.59 बजे) तक सक्रिय रहेगी। यदि उम्मीदवार 'क्रियट एन एकॉउंट Create an Account' फॉर्म (ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित) में दर्ज विवरण (अर्थात् नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, मैट्रिकुलेशन रोल सं., मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र सीरियल संख्या, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आधार ई-केवइसी विवरण सहित चयनित आरआरबी) के अलावा कोई और विवरण में संशोधन, परिवर्तन या सुधार करना चाहता है तो वे प्रत्येक अवसर पर रु.250/- का संशोधन शुल्क (नॉन रीफंडेबल) का भुगतान करके ऐसा कर सकते है।

प्र.5 बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्रता क्या है?

उ. बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है।

प्र.6 आवेदन करने क लिए योग्य आयु क्या है?

उ. कृपया विस्तृत सीईएन के पैरा 5.0, 5.1 एवं 5.2 का संदर्भ देखें।

प्र.7 आयु गणना के लिए महत्वपूर्ण तिथि क्या है?

उ. आयु गणना के लिए महत्वपूर्ण तिथि 01.07.2025 है।

प्र.8 निर्धारित शैक्षणिक योग्यता (पद मापदंड) क्या है?

उ. कृपया विसतृत सीईएन का अनुलग्नक-ए देखें।

प्र.9 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात मेरे अंतिम परिणाम आने की

उम्मीद है। क्या मैं आवेदन कर सकता/सकती हूँ?

उ. नहीं, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के लिए योग्य नहीं हैं। उम्मीदवारों के पास सीईएन की अंतिम तिथि तक या उससे पहले निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।

प्र.10 सहायक लोको पायलट के पद के लिए मेडिकल फिटनेस के मानक क्या हैं?

उ. कृपया विस्तृत सीईएन के पैरा 3.0 एवं अनुलग्नक-ए का संदर्भ देखें।

प्र.11 शुल्क रियायत के लिए कौन योग्य है?

उ. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) अम्मीदवार शुल्क में छूट के लिए योग्य है। कृपया सीईएन के पैरा 7.0 (क्र.सं.2) का संदर्भ देखें।

प्र.12 क्या आवेदन भरने के लिए मोबाइल का उपयोग किया जा सकता है?

उ. एप्लीकेशन मॉड्यूल की कुछ विशेषताएं मोबाइल प्लेटफॉर्म पर ठीक से काम नहीं करेंगी। इसलिए, डेस्कटॉप/लैपटॉप का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

प्र.13 क्या मैं एक ही आरआरबी या एक से अधिक आरआरबी में एक से अधिक आवेदन कर सकता/सकती हूँ?

उ. नहीं, आपको एक ही आरआरबी या एक से अधिक आरआरबी में एक से अधिक आवेदन नहीं करने चाहिए। एक ही आरआरबी या एक से अधिक आरआरबी में एक से अधिक आवेदन जमा करने पर सभी आवेदन अस्वीकृत किए जाएंगे और आपको आरआरबी एवं आरआरसी की सभी भावी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

प्र.14 मैंने LASIK सर्जरी करवाई है। क्या मैं आवेदन करने के योग्य हूँ?

उ. LASIK सर्जरी करवाने वाले उम्मीदवार उन पदों के लिए योग्य नहीं हैं जिनके लिए मेडिकल मानक A1 की आवश्यकता होती है। कृपया पैरा 3.0 नोट (b) देखें।

प्र.15 खाता बनाँए (‘Create an account’) के लिए आवश्यकताएँ क्या है?

उ. उम्मीदवारों के पास अपना सक्रिय मोबाइल नंबर और वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी होना चाहिए।

प्र.16 मैने अप्रैल 2025 से पहले जारी सीईएन 2024 के लिए अकाउंट बनाया है। क्या मुझे इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु दूसरा अकाउंट बनाना चाहिए?

उ. नहीं, उम्मीदवार जिन्होने अप्रैल 2025 से पहले जारी 2024 के सीईएन के लिए अकाउंट बनाया है उन्हे दुबारा अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। सीईएन सं. 01/2025 (एएलपी) के लिए भी आवेदन भरने हेतु उन्हें उसी यूज़रनेम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना होगा।

प्र.17 अकाउंट बनाँए ('Create an account') की प्रक्रिया क्या है?

उ. यदि उम्मीदवार ने अब तक अकाउंट नही बनाया है तो उन्हें पहले इस सीईएन के लिए आवेदन भरने से पहले होम पेज के आवेदन लिंक के "Apply" टैब पर 'Create an Account' पर क्लिक करके अकाउंट बनाने की आवश्यकता है। ऑनलाइन 'Create an Account' फार्म में आवश्यक विवरण भर कर पासवर्ड बनाए। पासवर्ड बड़े अक्षरों, छोटे अक्षरों, विशेष वर्णों और संख्याओं का संयोजन होना चाहिए। सफलतापूर्वक "Creation of Account" के बाद उम्मीदवारों को पुष्टिकरण एसएमएस और ईमेल प्राप्त होगा।

प्र.18 क्या मैं 'Create an Account' के बाद विवरण को संपादित कर सकता/सकती हूँ?

उ. एक बार अकाउंट क्रिएट करने के बाद 'Create an Account' फार्म में दर्ज 12 विवरण में किसी भी स्तर पर कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है।

प्र.19 यदि मैने अपने नाम में पहले ही कोई बदलाव किया है तो मुझे कौन से दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा?

उ. उम्मीदवारों के पास राजपत्रित अधिसूचना या यथा लागू कोई अन्य कानूनी दस्तावेज़ होने चाहिए और सीबीटी-1,सीबीटी-2,सीबीएटी, दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना होगा। ऐसे परिवर्तन या परिवर्तन के लिए आवेदन की तिथि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से पहले की होनी चाहिए। आवेदकों को 'Create an account' के दौरान मूल नाम और बदला हुआ नाम भी भरना होगा। ऐसे मामलों में, आवेदन में दोनों नाम दर्शाए जाएंगे।

प्र.20 आधार सत्यापन की आवश्यकता क्यों है?

उ. भर्ती के विभिन्न चरणों में सुचारू प्रक्रिया हेतु उम्मीदवारों के लिए आधार सत्यापन आवश्यक है। इसके अलावा, उम्मीदवारी की वास्तविकता सुनिश्चित करने और परीक्षा के दौरान प्रतिरूपण पर अंकुश लगाने के लिए भी ऐसा किया जाएगा। आरआरबी आधार विवरण को किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करेंगे और न ही इस सीईएन के उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करेंगे।

प्र.21 लॉगिन करने की प्रक्रिया क्या है?

उ. आवेदन लिंक के 'होम' पेज पर जाएं। 'Apply' टैब के नीचे ड्रॉपडाउन मेनु से 'Already have an account' का चयन करें। पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करके अपने अकाउंट में साइनइन करने के बाद पासवर्ड, कैप्चा डालकर लॉगिन करें।

प्र.22 यदि मैं अपने अकाउंट में साइन इन करने के लिए पासवर्ड भूल गया तो मुझे क्या करना होगा?

उ. लॉगिन पेज के "Sign into Your Account" के "Forgot Password" विकल्प पर क्लिक करें। पंजीकृत ईमेल या मोहाइल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें। संशोधित पासवर्ड उम्मीदवार के पंजीकृत ईमेल आईडी पर ही भेजी जाएगी। उम्मीदवार को पंजीकृत ईमेल पर भेजी गई संशोधित पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना होगा।

प्र.23 क्या मैं अपने अकाउंट का पासवर्ड रीसेट/बदल सकता/सकती हूँ और क्या मे अपना 'चयनित आरआरबी' बदल सकता/सकती हूँ?

उ. हाँ, लॉगिन करने के बाद "Online Application page" के ऊपर दाएं ओर उपलब्ध "Change Password" के विकल्प का उपयोग करते हुए पासवर्ड रीसेट/बदला जा सकता है। **नहीं**, आवेदन प्रस्तुत करने के बाद 'चयनित आरआरबी' में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।

प्र.24 लॉगिन करने क बाद अगली प्रक्रिया क्या है?

उ. इसमें पाँच मुख्य भाग हैं: व्यक्तिगत विवरण, अन्य विवरण, शैक्षिक योग्यता, प्रोफ़ाइल दस्तावेज़ अपलोड, पूर्वावलोकन और वरीयता और सबमिट। व्यक्तिगत विवरण से शुरू करते हुए सभी विवरण दर्ज करना शुरू करें। व्यक्तिगत विवरण दर्ज करने के बाद सेव करें और अगले अनुभाग पर जाएं, और इस तरह से तब तक जारी रखें जब तक कि अंतिम अनुभाग तक न पहुंच जाएं, यानी पूर्वावलोकन और वरीयता और सबमिट, जहां उम्मीदवार अंततः भुगतान के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकता है। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आवेदक को आरआरबी से ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सफल भुगतान की पुष्टि प्राप्त होगी। उसके बाद, उम्मीदवार पंजीकरण संख्या सहित जमा किए गए आवेदन का प्रिंटआउट ले सकते हैं।

नोट: जिन उम्मीदवारों ने 2024 की आरआरबी अधिसूचनाओं के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इस सीईएन के लिए आवेदन करते समय आवेदन मॉड्यूल के व्यक्तिगत विवरण, अन्य विवरण, शैक्षिक योग्यता और अपलोड प्रोफाइल दस्तावेजों (फोटो और हस्ताक्षर) के संबंधित पृष्ठों पर अपने पिछले सहेजे गए डेटा से प्राप्त डेटा की शुद्धता की जांच करें और फिर भुगतान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आगे बढ़ें। 'Create an Account' फॉर्म में भरे गए विवरण (नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, मैट्रिकुलेशन रोल नंबर, मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र सीरियल संख्या, मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और चुने गए आरआरबी सहित आधार

ईकेवाईसी विवरण) में कोई भी संशोधन नहीं किए जा सकते है।

प्र.25 क्या मैं ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद भुगतान करने से पहले अपने आवेदन विवरण को संपादित कर सकता/सकती हूँ?

उ. नहीं, उम्मीदवार आवेदन जमा करने के बाद विवरण संपादित नहीं कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे वरीयता और पूर्वावलोकन और सबमिट पृष्ठ पर आवेदन पूर्वावलोकन में उनके द्वारा भरे गए विवरण की शुद्धता के लिए फिर से जाँच करें और यदि सभी जानकारी सही है तो आवेदन जमा करें क्योंकि भुगतान के लिए आवेदन जमा करने के बाद कोई बदलाव की अनुमति नहीं है। यदि आवेदन पूर्वावलोकन में कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो वे 'एडिट' बटन पर क्लिक कर सकते हैं और आवेदन मॉड्यूल के संबंधित पृष्ठ पर गलत जानकारी को सुधार सकते हैं, फिर शुद्धता के लिए आवेदन का पुनः पूर्वावलोकन कर सकते हैं और आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने के बाद, अपेक्षित परीक्षा शुल्क का भुगतान करें और भुगतान प्रक्रिया पूरी करें। यदि कोई उम्मीदवार 'Create an Account' फ़ॉर्म में भरे गए विवरण (12 विवरण और चयनित आरआरबी) को छोड़कर किसी भी विवरण को संशोधित, बदलना या सही करना चाहता है, तो वे 14-05-2025 से 23-05-2025 तक संशोधन विंडो के दौरान प्रत्येक अवसर पर रु.250/- (नॉन रीफंडेबल) का संशोधन शुल्क का भुगतान करते हुए ऐसा कर सकते हैं।

प्र.26 मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में मेरी जन्म तिथि आधार या अन्य आईडी से अलग है। आवेदन में मुझे कौन सी जन्मतिथि दर्ज करनी होगी?

उ. आवेदन जमा करने से पहले, आधार या अन्य आईडी में जन्म तिथि को सही करना होगा। हालाँकि, आवेदन में केवल मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र के अनुसार जन्मतिथि ही दर्ज की जानी चाहिए।

प्र.27 क्या मैं आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपना विवरण संपादित कर सकता/सकती हूँ?

उ. हां, 'create an account' के दौरान दर्ज किए गए विवरण के अलावा आवेदन में कोई भी विवरण तब तक संपादित किया जा सकता है जब तक कि आवेदन जमा नहीं हो जाता और पंजीकरण संख्या उत्पन्न नहीं हो जाती।

प्र.28 मैंने आवेदन में अपना समुदाय/जाति गलत बताया है। क्या मैं आवेदन जमा करने के बाद अपना समुदाय/जाति संशोधित कर सकता/सकती हूँ?

उ. हां, संशोधन अवधि के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान करके ही विवरण संपादित करने की अनुमति है। हालांकि, संशोधन अवधि समाप्त होने के बाद विवरण संपादित करने की अनुमति नहीं है। आपको दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन आवेदन के अनुसार समुदाय और जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करनी

होगी। ऐसा न करने पर आपकी उम्मीदवारी को केवल 'अनारक्षित' श्रेणी के तहत ही माना जाएगा, बशर्ते कि आप सभी योग्यता शर्तों को पूरा करते हों।

प्र.29 'निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण' (निःशुल्क रेलवे पास) के लिए कौन योग्य है?

उ. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार जिन्होंने निःशुल्क यात्रा सुविधा का लाभ उठाने के लिए सहमति दी है, वे ही 'निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण' (निःशुल्क रेलवे पास) का लाभ उठा सकते हैं। **कृपया सीईएन के पैरा 17.0(ई) देखें।**

प्र.30 मैं 'निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण' (निःशुल्क रेलवे पास) का लाभ कैसे उठा सकता/सकती हूँ?

उ. यह सुविधा केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारो के लिए उपलब्ध है। व्यक्तिगत विवरण पृष्ठ के समुदाय अनुभाग में 'Do you wish to avail free rail travel pass for the exam' के ड्रॉपडाउन में 'Yes' विकल्प का चयन करके अपने 'निकटतम रेलवे स्टेशन' के विवरण दर्ज करके वे इस सुविधा का लाभ उठा सकते है। अम्मीदवार जो निःशुल्क रेल यात्रा पास का लाभ उठाना चाहते है केवल उन्हे ही जाति प्रमाणपत्र अपलोड करने की आवश्यकता है।

प्र.31 मैं कैसे निःशुल्क यात्रा सुविधा प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?

उ. योग्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में (जिन्होंने निःशुल्क यात्रा सुविधा का लाभ उठाने के लिए सहमति दिया है), उनके ई-कॉल लेटर में ही निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण (स्लीपर श्रेणी रेलवे पास) शामिल होगा। उन्हें टिकट बुकिंग काउंटर पर ई-कॉल लेटर और अ.ज./अ.ज.जा. प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा करके रेल आरक्षण बुक करने की अनुमति दी जाएगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को यात्रा के लिए अपना मूल सामुदायिक प्रमाण पत्र तथा पहचान का मूल प्रमाण साथ लाना होगा, अन्यथा उन्हें बिना टिकट यात्रा करते हुए माना जाएगा तथा उनसे तदनुसार शुल्क लिया जाएगा।

प्र.32 मैं अपना जाति प्रमाणपत्र अपलोड नही कर पा रहा/रही हूँ?

उ. जाँच करे की स्कैन की गई दस्तावेज़ 'पीडीएफ' प्रारूप (400 KB तक) में ही है।

प्र.33 ईबीसी क्या है?

उ. ईबीसी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवार वो है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु.50,000/- से कम है। उम्मीदवारो को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को अन्य पिछड़े वर्ग(ओबीसी) या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के साथ भ्रमित नही होना है।

प्र.34 ईबीसी के लिए दिए जाने वाले लाभ कौन से है? क्या ईबीसी आरक्षण लाभ के

लिए योग्य है?

उ. ईबीसी उम्मीदवारों को 'शुल्क रियायत' दी जाती है परंतु आरक्षण लाभ के लिए योग्य नही है।

प्र.35 यदि उम्मीदवार ईबीसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही करता है तो क्या होगा?

उ. यदि कोई उम्मीदवार ईबीसी के रूप में शुल्क में छूट का लाभ उठाता है, तो उसके पास ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले वैध आय प्रमाण पत्र (सीईएन के अनुलग्नक IV के अनुसार) या बीपीएल कार्ड या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र या रेलवे द्वारा जारी इज़्ज़त एमएसटी होना चाहिए और उसे दस्तावेज़ सत्यापन के समय जमा करना होगा, ऐसा न करने पर उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी। पूरी जानकारी के लिए विस्तृत सीईएन के पैरा 7.3 का संदर्भ लें।

प्र.36 अल्पसंख्यकों में कौन शामिल है?

उ. अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और ज़ोराष्ट्रियन (पारसी) शामिल हैं, जिन्हें उम्मीदवार के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त संशोधन/हटाने/समावेश के अधीन है।

प्र.37 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को दिए जाने वाले लाभ क्या हैं? यदि कोई उम्मीदवार दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय की घोषणा के लिए शपथ पत्र (एफिडेविट) प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो क्या होगा?

उ. अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को केवल 'शुल्क में रियायत' दी जाएगी और वे आरक्षण लाभ के लिए योग्य नहीं होते हैं। परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय अपने अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख करते हुए गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय की घोषणा (सीईएन के अनुलग्नक V के अनुसार) के लिए एक शपथ पत्र (एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।

प्र.38 अ.ज./अ.ज.जा/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस स्थिति का दावा करने की महत्वपूर्ण तिथि क्या है?

उ. इस सीईएन के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर अ.ज., अ.ज.जा, ओबीसी-एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए समुदाय/श्रेणी की स्थिति को केवल योग्यता के अनुसार आरक्षण और संबंधित लाभों के लिए माना जाएगा। इसके बाद इस स्थिति में किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा। कृपया पूरी जानकारी के लिए विस्तृत सीईएन के पैरा 8.0 से 8.8 (वर्टिकल आरक्षण) देखें।

अ.ज./अ.ज.जा/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस स्थिति के आधार पर आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास इस सीईएन के आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक जाति/समुदाय प्रमाण पत्र है। दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान, ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध अपना मूल जाति/समुदाय प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप में) प्रस्तुत करना होगा।

प्र.39 यदि उम्मीदवारों के पास राज्य प्रारूप में उनका सामुदायिक प्रमाण पत्र है, तो क्या वे आवेदन करने के लिए योग्य हैं?

उ. अ.ज./अ.ज.जा/ओबीसी-एनसीएल के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवार इस शर्त के अधीन आवेदन करने के योग्य हैं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सूची में उनका समुदाय उल्लिखित होना चाहिए तथा दस्तावेज सत्यापन के दौरान उन्हें वही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

प्र.40 ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण प्राप्त करने के लिए मानदंड क्या है?

उ. पूरी जानकारी के लिए विस्तृत सीईएन का पैरा 8.8 देखें।

प्र.41 मैं वर्तमान में सशस्त्र बलों में कार्यरत हूं। क्या मैं भूतपूर्व सैनिक के रूप में आवेदन कर सकता हूं?

उ. आप इस सीईएन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आवेदन कर सकते हैं यदि आप इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर सेवा से मुक्त हो जाते हैं।

प्र.42 मैंने भूतपूर्व सैनिक के रूप में पहले ही सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है। क्या मैं इस सीईएन के तहत भूतपूर्व सैनिक लाभ के लिए योग्य हूँ?

उ. भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले लाभ उठा कर पहले ही केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप 'सी' और पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) में सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है, उन्हें केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप 'सी'/ पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' में उच्च ग्रेड या कैडर में एक और सिविल रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु छूट का लाभ ही दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। कृपया पूरी जानकारी के लिए विस्तृत सीईएन के पैरा 10.0 से 10.6 देखें।

प्र.43 दस्तावेज़ सत्यापन के समय एनओसी किसे प्रस्तुत करना चाहिए?

उ. रेलवे या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सहित किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार के

विभाग में सेवारत (प्रवेश प्रशिक्षण/परिवीक्षा प्राप्त करने वाले सहित) उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता से एनओसी प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।

प्र.44 आवेदन जमा करने के बाद मैंने केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यभार ग्रहण किया है। क्या मुझे दस्तावेज़ सत्यापन के समय एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना होगा?

उ. हां। यद्यपि आपने आवेदन जमा करने के बाद किसी भी केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सेवा ग्रहण कर ली है, फिर भी आपको दस्तावेज सत्यापन के समय एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

प्र.45 आवेदन में शैक्षणिक योग्यता पृष्ठ पर केवल मैट्रिकुलेशन दिखाई दे रहा है। मैं अपनी अन्य योग्यताएं कैसे जोड़ूं?

उ. 'Add' बटन पर क्लिक करें, योग्यता विवरण भरें और पुनः 'Add' बटन पर क्लिक करें।

प्र.46 यदि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र पर केवल उत्तीर्ण होने का महीना और वर्ष ही अंकित है तो मुझे आवेदन में कौन सी तिथि दर्ज करनी चाहिए?

उ. यदि 10वें प्रमाणपत्र पर तारीख उपलब्ध नहीं है, तो प्रमाणपत्र पर उल्लिखित महीने की अंतिम तारीख दर्ज करें। उदाहरण के लिए: अप्रैल-2024 को 30.04.2024 के रूप में उल्लिखित किया जाना चाहिए।

प्र.47 कुल मिलाकर कौन-कौन से दस्तावेज़ अपलोड किए जाने हैं?

उ. उम्मीदवारों को सीईएन के निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार हाल ही में खींची गई स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर और हस्ताक्षर की स्कैन की गई जेपीजी/जेपीईजी छवि अपलोड करनी होगी। जो अ.ज./अ.ज.जा. के अभ्यर्थी निःशुल्क यात्रा पास का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें पीडीएफ प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

प्र.48 अपलोड किए जाने वाले स्कैन किए गए दस्तावेज़ों का आकार क्या होना चाहिए?

उ. अपलोड किए जाने वाले स्कैन्ड दस्तावेज़ों का आकार निम्न प्रकार के होने चाहिए-

1. <u>जाति प्रमाणपत्र:</u> जाति प्रमाण पत्र पीडीएफ प्रारूप में 400 KB तक होना चाहिए
2. <u>फोटोग्राफ:</u> हाल ही में लिया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का 35mm चौड़ाई x 45mm लंबाई फोटोग्राफ जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप में बेहतर स्पष्टता के लिए 150 KB से अधिक और 100 KB से कम नहीं होना चाहिए
3. <u>हस्ताक्षर:</u> तथा हस्ताक्षर जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप में 30 KB से 49 KB के बीच

होना चाहिए।

प्र.49 किस प्रकार का फोटोग्राफ अपलोड किया जाना चाहिए?

उ. उम्मीदवार की हाल ही में ली गई स्पष्ट रंगीन भारतीय पासपोर्ट आकार की तस्वीर की स्कैन की गई जेपीजी/जेपीईजी छवि (सादे सफेद पृष्ठभूमि पर, पोशाक गैर-सफेद होनी चाहिए, अधिमानतः गहरे रंग की) (बेहतर स्पष्टता के लिए आकार 150KB से अधिक और 100KB से कम नहीं होना चाहिए) - बिना काला चश्मा और/या टोपी पहने होनी चाहिए। रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर दो महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। पासपोर्ट आकार की तस्वीर के सभी आयाम निर्धारित विनिर्देशों के साथ 'अपलोड प्रोफ़ाइल डॉक्युमेंट्स' पृष्ठ पर प्रदर्शित किए गए हैं।

सावधानी: अमान्य फोटो (अर्थात जो निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार नहीं है) जैसे कि काले और सफेद, पूरे फ्रेम के भीतर कम आकार की फोटो, अंधेरा/ध्यान भटकाने वाला / सफेद न होने वाला बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पर/सिर के पीछे ध्यान भटकाने वाली छाया, कोहनी और / या कोहनी के नीचे का हिस्सा और/या छाती के नीचे का हिस्सा ढकने वाला फोटो, खराब रिजोल्यूशन/चमक/तीक्ष्णता/धुंधले/धुंधले रंग/पिक्सेल युक्त फोटो, अस्वाभाविक त्वचा का रंग, हस्ताक्षर या नाम या तारीख वाली फोटो या किसी अन्य प्रकार के खराबी के निशान (फटे, मुड़े, चिह्नित), पूरे शरीर का दृश्य, केवल साइड से दृश्य, पहचानने में न आने वाले चेहरे के लक्षण, उलटी छवि, फोटोकॉपी की गई तस्वीर में फोटो, ग्रुप फोटो, सिर/कंधा झुका हुआ फोटो, साइड/झुका हुआ दृश्य, सिर बगल/ऊपर/नीचे, चेहरे पर/पार ध्यान भटकाने वाली छाया, पूरी तरह से बंद आंखों वाली फोटो, नीचे/पार्श्व की ओर झुकी हुई, आंखों/चेहरे पर बाल, काले चश्मे के साथ चश्मे पर चमक, सेल्फी, टोपी/हेलमेट/हैट के साथ, खाली छवि, 2 महीने से अधिक पुरानी, पासपोर्ट आकार के अलावा अन्य आदि को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

प्र.50 किस प्रकार का हस्ताक्षर अपलोड किया जाना चाहिए?

उ. उम्मीदवार के हस्ताक्षर की स्कैन की गई जेपीजी/जेपीईजी इमेज (आकार 30 से 49KB) रनिंग हैंडराइटिंग में होनी चाहिए और यह ब्लॉक/कैपिटल/डिस्जॉइन्ड अक्षरों में नहीं होनी चाहिए। हस्ताक्षर के सभी आयाम निर्धारित विनिर्देशों के साथ 'अपलोड प्रोफ़ाइल डॉक्युमेंट्स' पृष्ठ पर प्रदर्शित किए गए हैं।

सावधानी:अमान्य हस्ताक्षर (अर्थात जो निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार नहीं) जैसे कि गैर-सफेद बैकग्राउंड और/या गैर-काले रंग के हस्ताक्षर का उपयोग, रनिंग हैंडराईटिंग में लिखे गए अक्षरों के बजाय ब्लॉक/कैपिटल/डिस्जाइंड अक्षरों का उपयोग, खराब रिज़ॉल्यूशन, अपूर्ण छवि, अपूर्ण हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के अलावा अन्य छवि, कोई हस्ताक्षर नहीं (रिक्त छवि), आदि को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

प्र.51 मैं शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता/सकती हूँ?

उ. शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या यूपीआई सेवाओं के माध्यम से ही किया जा सकता है। फीस के अलावा उम्मीदवार से यथा लागू प्रोसेसिंग शुल्क भी लिया जाएगा। कृपया भुगतान करते समय भुगतान के तरीके की वास्तविकता के साथ-साथ इस सीईएन के लिए ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि और समय के बारे में भी सावधान रहें। अनधिकृत वेबसाइटों से बचें।

प्र.52 मैं कैसे जान सकता/सकती हूँ कि मेरा आवेदन अंततः जमा हो गया है और क्या मैं उसका प्रिंटआउट ले सकता/सकती हूँ?

उ. ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन की अनंतिम स्वीकृति आरआरबी की ओर से सफल भुगतान के बाद ही होगी। आवेदक को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से पुष्टि प्राप्त होगी और उसके बाद उम्मीदवार आवेदन का प्रिंटआउट ले सकते हैं।

प्र.53 मेरा आवेदन स्वीकार कर लिया गया है और मेरा ई-कॉल लेटर भी तैयार हो गया है। क्या इसका मतलब यह है कि मुझे भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में स्वीकार कर लिया गया है?

उ. भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश अनंतिम होगा, बशर्ते कि उम्मीदवार सभी निर्धारित योग्यता शर्तों को पूरा करता हो। ई-कॉल लेटर जारी करने मात्र से यह नहीं माना जाता कि उम्मीदवार की उम्मीदवारी आरआरबी द्वारा भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा के समय, उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति देने से पहले उनके फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की उपयुक्तता, प्रामाणिकता और वास्तविकता के साथ-साथ अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की भी जांच की जाएगी। उम्मीदवारो के प्रमाण-पत्रों के साथ-साथ उनकी प्रस्तुत जानकारी की प्रामाणिकता का सत्यापन आगामी भर्ती चरणों अर्थात् पीईटी/मेडिकल परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के समय किया जाएगा।

प्र.54 सीबीटी का पाठ्यक्रम क्या है?

उ. कृपया सीबीटी पाठ्यक्रम के लिए विस्तृत सीईएन के पैरा 12.1 और 12.2 का

संदर्भ लें।

प्र.55 भर्ती प्रक्रिया के चरण क्या हैं और मैं अनुसूचियां कैसे जान सकता/सकती हूँ?

उ. प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी-1), द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी-2), कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा (सीबीएटी), दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) और चिकित्सा परीक्षा (एमई)।

परीक्षा अनुसूची और स्थान की जानकारी योग्य उम्मीदवारों को आरआरबी वेबसाइट, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से यथासमय दे दी जाएगी।

किसी भी चरण को स्थगित करने या स्थान, तिथि और पारी में परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

प्र.56 क्या सीसीएए के लिए आरक्षण है?

उ. नहीं। सीसीएए उम्मीदवार केवल आयु में छूट के लिए योग्य हैं। विस्तृत सीईएन के पैरा 5.1 का संदर्भ ले।

प्र.57 “परीक्षा शुल्क वापसी” के लिए कौन योग्य हैं?

उ. केवल सीबीटी-1 में भाग लेने वाले उम्मीदवार ही “परीक्षा शुल्क वापसी” (बैंक शुल्क की विधिवत कटौती) के लिए योग्य हैं।

प्र.58 मैंने टूल एंड डाई मेकिंग में डिप्लोमा किया है, क्या मैं आवेदन कर सकता/सकती हूँ?

उ. केवल सीईएन 01/2025(एएलपी) के अनुलग्नक-ए के अनुसार योग्यता ही स्वीकार की जाएगी।

प्र.59 यदि मेरे पास निर्धारित आईटीआई/एनएसी/डिप्लोमा/डिग्री नहीं है, तो क्या मैं “समकक्ष प्रमाण पत्र” प्रस्तुत कर सकता/सकती हूँ?

उ. केवल सीईएन 01/2025(एएलपी) के अनुलग्नक-ए के अनुसार योग्यता ही स्वीकार की जाएगी।

प्र.60 मैंने दो वर्ष का डिप्लोमा किया है। क्या मैं आवेदन करने के लिए योग्य हूँ?

उ. सीईएन के अनुलग्नक-ए में उल्लिखित निर्दिष्ट विषयों में इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ही स्वीकार किया जाएगा।

प्र.61 मैंने आईटीआई/एनटीसी और एनएसी किया है। क्या मैं दोनों योग्यताएं जोड़ सकता/सकती हूं?

उ. हाँ। “Add” बटन पर क्लिक करें, योग्यता विवरण भरें और फिर से “Add” बटन पर क्लिक करें।

प्र.62 मैंने आईटीआई/एनटीसी और डिप्लोमा किया है। क्या मैं दोनों योग्यताएं जोड़ सकता/सकती हूं?

उ. हाँ। “Add” बटन पर क्लिक करें, योग्यता विवरण भरें और फिर से “Add” बटन पर क्लिक करें।

प्र.63 मैंने आईटीआई/एनटीसी और डिग्री किया है। क्या मैं दोनों योग्यताएं जोड़ सकता/सकती हूं?

उ. हाँ। “Add” बटन पर क्लिक करें, योग्यता विवरण भरें और फिर से “Add” बटन पर क्लिक करें।

प्र.64 मैंने एनएसी और डिप्लोमा किया है। क्या मैं दोनों योग्यताएं जोड़ सकता/सकती हूँ?

उ. हाँ। “Add” बटन पर क्लिक करें, योग्यता विवरण भरें और फिर से “Add” बटन पर क्लिक करें।

प्र.65 मैंने एनएसी और डिग्री किया है। क्या मैं दोनों योग्यताएं जोड़ सकता/सकती हूँ?

उ. हाँ। “Add” बटन पर क्लिक करें, योग्यता विवरण भरें और फिर से “Add” बटन पर क्लिक करें।

प्र.66 मैंने डिप्लोमा और डिग्री किया है। क्या मैं दोनों योग्यताएं जोड़ सकता/सकती हूं?

उ. हाँ। “Add” बटन पर क्लिक करें, योग्यता विवरण भरें और फिर से “Add” बटन पर क्लिक करें।

प्र.67 मेरे पास ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है। क्या मैं आवेदन कर सकता/सकती हूँ?

उ. केवल पाठ्यक्रम पूर्ण किया हुआ एक्ट अप्रेंटिसशिप ही स्वीकार किया जाएगा।

प्र.68 ‘आईटीआई/एनटीसी’ उम्मीदवारों के लिए सीबीटी-2 के भाग ख के लिए परीक्षा ट्रेड क्या है?

उ. ‘आईटीआई/एनटीसी’ योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए सीबीटी-2 के भाग ख के लिए परीक्षा ट्रेड उनका संबंधित ट्रेड है।

प्र.69 ‘सीसीएए’ उम्मीदवारों के लिए सीबीटी-2 के भाग ख के लिए परीक्षा ट्रेड क्या है?

उ. ‘सीसीएए’ योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए सीबीटी-2 के भाग ख के लिए परीक्षा ट्रेड उनका संबंधित ट्रेड है।

प्र.70 ‘डिप्लोमा/डिग्री’ उम्मीदवारों के लिए सीबीटी-2 के भाग ख के लिए परीक्षा ट्रेड क्या

है?

उ. विस्तृत सीईएन के पैरा 12.2 का संदर्भ लें।

प्र.71 क्या इसमें नकारात्मक अंकन होगा?

उ. सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की नकारात्मक अंकन की जाएगी।

प्र.72 मुझे अपनी परीक्षा के लिए भाषा का चयन कहाँ करना चाहिए?

उ. उम्मीदवार 'व्यक्तिगत विवरण' पृष्ठ के अंतर्गत ड्रॉप-डाउन मेनू में उपलब्ध 15 भाषाओं की सूची में से एक भाषा का चयन कर सकते हैं। सीबीटी प्रश्न चुनी गई भाषा और अंग्रेजी में प्रदर्शित किए जाएंगे।

प्र.73 आरआरबी की 'रिफंड नीति' क्या है?

उ. रिफंड नीति: भुगतान के साथ आगे बढ़कर, आवेदक स्वीकार करता है और सहमत होता है कि किया गया भुगतान वापस नहीं किया जा सकता है और आवेदक किसी भी परिस्थिति में चार्जबैक नहीं कर सकता है।

प्र.74 'शुल्क रिफंड' के लिए कौन योग्य हैं?

उ. सीबीटी में भाग लेने वाले उम्मीदवार विस्तृत सीईएन के पैरा 7.4 के अनुसार 'शुल्क वापसी' (बैंक शुल्क की विधिवत कटौती) के योग्य हैं। त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण या अस्वीकृत आवेदनों के लिए परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
नोट: संशोधन शुल्क नॉन रिफंडेबल है।

प्र.75 आवेदन पंजीकरण संख्या का क्या उपयोग है?

उ. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक अपने जमा किए गए आवेदन की पंजीकरण संख्या को नोट करके रखें। पंजीकरण संख्या का उपयोग भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों और आरआरबी के साथ पत्राचार के लिए किया जाएगा।

प्र.76 आवेदनों की अस्वीकृति के संभावित कारण क्या हैं?

उ. कृपया विस्तृत सीईएन के पैरा 16.0 का संदर्भ ले।

प्र.77 आवेदन जमा करने से संबंधित प्रश्नों के मामले में मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?

उ. उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन: सीईएन के लिए आवेदन जमा करने से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए:-
ईमेल: rrb.help@csc.gov.in
फोन: 9592-001-188 एवं 0172-565-3333
(सभी कार्य दिनों में 10:00 बजे से 5:00 बजे तक)